पत्र क्रमांक–विश्व. / 108 / 30–ए

प्रति,

दिनांक.30.04.2020

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी
प्रधानमंत्री – भारत सरकार
152–साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स,
नई दिल्ली–110 011
ई–मेल– **pmosb@pmo.nic.in, appt.pmo@gov.in**

विषयः– देश के समस्त विश्वविद्यालयों से स्वीकृत शोध प्रबन्ध एवं लघु शोध प्रबन्धों की प्रतियाँ अध्येताओं को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ।

मान्यवर,

देश में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य शासनों द्वारा संस्थापित शासकीय विश्वविद्यालयों, अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालयों आदि समस्त प्रकार के विश्वविद्यालयों से शोधोपाधि हेतु समय–समय पर डी. लिट्., पीएच.डी., विद्यावाचस्पति एवं विद्यावारिधि आदि उपाधियों हेतु शोध प्रबन्ध [Thesis] तथा एम.फिल. व अन्य स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए लघु शोध प्रबन्ध [Dissertation] भी स्वीकृत किए जाते हैं।

शासन के निर्देशानुसार देश के 438 विश्वविद्यालयों के ऐसे शोध प्रबंधों में से अब तक www.shodhganga.inflibnet.ac.in बेवसाइट पर 2,69,806 शोध प्रबंध [Thesis] एवं 7600 सिनॉप्सिस् (Synopsis) भी अपलोड किए जा चुके हैं। इस कारण से नूतन हो रहे शोध कार्यों में जहाँ विषयवस्तु आदि का पुनरावर्तन होना रुका है, वहीं शोध कार्यों में पारदर्शिता भी आई है। नए शोध प्रबन्धों को 'प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट' [Plagiarism Certificate] प्राप्त करना अनिवार्य होने से अब शोध सामग्री आलेखन कार्य में पूर्वलिखित जानकारियों व शोध निष्कर्षों से साहित्यिक नकलचोरी / कट–पेस्ट करने जैसी दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लग रहा है। साथ ही पूर्व में लिखित ये शोधप्रबंध आदि अब सार्वजनिक तौर पर इस बेवसाइट के द्वारा उपलब्ध हो जाने से शोध प्रबंधों का अध्येताओं को यथेच्छ रूप से सदुपयोग करने में सुगमता हो रही है और वे नए शोध निष्कर्ष प्राप्त करने प्रयासरत हो रहे हैं ।

किन्तु प्राप्त जानकारियों के अनुसार 20वीं शताब्दी रूप पूर्वकाल में लिखित बहुसंख्यक शोध प्रबंध आदि अभी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में ही टाइप्ड प्रति के रूप में संरक्षित हैं । उन शोध प्रबंधों का अध्येता वर्ग सुगम रीति से अवलोकन भी नहीं कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे शोध प्रबंधों की प्रतियों को 'सूचना का अधिकार' {R.T.I.} के माध्यम से भी प्राप्त कर पाना सहज सम्भव नहीं हो पा रहा। इस कारण जहाँ उन शोध निष्कर्षों को पढ़ पाने से अध्येता वंचित रह रहे हैं, वहीं कुछ विषयों का पुनरावर्तन होने की संभावना भी शेष रह रही है ।

माननीय महोदय से इसी कारण निवेदन है कि देश में स्थित उक्त समस्त प्रकार के विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश प्रेषित किए जाना चाहिए–

1. जब सभी प्रकार के शोध प्रबन्ध / लघु शोध प्रबन्धों की प्रतियाँ उपरिलिखित बेवसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक रूप में उपयोग करना सुनिश्चित किया जा रहा है, तब विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में संग्रहीत शोध प्रबंध आदि को आर.टी.आई. के माध्यम से चाहने पर अथवा अध्येता द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित विधि से, उचित शुल्क लेकर प्रार्थीजनों को निश्चित कालावधि के भीतर शोध प्रबंधों की प्रतियाँ सीधे ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक

2. उक्त बेवसाइट पर प्रायः 21वीं शताब्दी में लिखित शोध प्रबंध आदि अधिक संख्या में अपलोड हुए देखने में आ रहे हैं। किंतु 20वीं शताब्दी के दसवें–नवमें–आठवें–सातवें–छटवें–पाँचवें आदि दशक में लिखित शोध प्रबंधों आदि की संख्या उनमें नगण्य है। अतएव उक्त कालावधियों में लिखित शोध प्रबंध आदि सामग्रियों को स्केन कर बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु निश्चित रीति से स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए जाएँ। साथ ही इस कार्य को यथाशीघ्र संपन्न कराए जाने हेतु कोई कार्य–योजना बनाकर कार्य को संपादित करने हेतु निश्चित कालावधि भी निर्धारित/सुनिश्चित की जाए।

3. विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत शोध प्रबंध आदि यदि किसी प्रकाशन संस्थान द्वारा या शोधार्थी द्वारा अपने निजी प्रयासों से प्रकाशित किया गया/कराया हो, तो ऐसे शोध प्रबंध आदि को प्रकाशन संस्थान या शोधार्थी द्वारा सीधे ही बेवसाइट पर अपलोड करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाए। इस कार्य की मॉनीटरिंग होकर ऐसे शोध प्रबंध आदि भी बेवसाइट पर समुपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित होना चाहिए।

हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा प्रेषित किए जा रहे उपरिलिखित तीनों बिंदुओं पर विचार कर यथाशीघ्र निर्णय लेकर कोई स्पष्ट दिशानिर्देश प्रसारित होने/कराने में आपका सक्रिय प्रयास सार्थकता दिलाएगी। इसी विश्वास के साथ आपके द्वारा किए/कराए गए सत्प्रयास की एक प्रति मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी अपेक्षा है। सादर।

निवेदक

अजित कुमार जैन
अध्यक्ष
श्री प्रेमप्रचारिणी दिगम्बर जैन सभा
मण्डी बामोरा–464240, सागर, म0प्र0

प्रतिलिपिः–

माननीय श्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' जी
केन्द्रीय मंत्री–मानव संसाधन विकास मंत्रालय
301–सी विंग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली–110 001
ई–मेल– **minister.hrd@gov.in, drrameshpokhriyal@gmail.com**
pstohrm@gov.in, secy.dhe@nic.in

माननीय श्री संजय शामराव धोत्रे जी
केन्द्रीय राज्यमंत्री–मानव संसाधन विकास मंत्रालय
126–सी विंग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली–110001
ई–मेल– **sanjaysdhotre@gmail.com**

माननीय श्री प्रोफे. डॉ. डी. पी. सिंह जी
अध्यक्ष–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110 002
ई–मेल– **cm.ugc@nic.in, webmaster.ugc.help@gmail.com**

माननीय श्री डॉ. भूषण पटवर्धन जी
उपाध्यक्ष–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110 002
ई–मेल– **vcm.ugc@nic.in**

माननीय श्री प्रोफे. रजनीश जैन जी
सचिव–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110 002
ई–मेल– **secy.ugc@nic.in**

क्रमांक–विश्व./108/29–ए

दिनांक 29.04.2020

प्रति,

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी
प्रधानमंत्री – भारत सरकार
152–साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स,
नई दिल्ली–110 011
ई–मेल– **pmosb@pmo.nic.in, appt.pmo@gov.in**

विषयः– **देश के समस्त विश्वविद्यालयों से स्वीकृत शोध प्रबन्ध एवं लघु शोध प्रबन्धों की प्रतियाँ अध्येताओं को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ।**

मान्यवर,

देश में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य शासनों द्वारा संस्थापित शासकीय विश्वविद्यालयों, अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालयों आदि समस्त प्रकार के विश्वविद्यालयों से शोधोपाधि हेतु समय–समय पर डी. लिट्, पीएच.डी., विद्यावाचस्पति एवं विद्यावारिधि आदि उपाधियों हेतु शोध प्रबन्ध [Thesis] तथा एम.फिल. व अन्य स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए लघु शोध प्रबन्ध [Dissertation] भी स्वीकृत किए जाते हैं।

शासन के निर्देशानुसार देश के 438 विश्वविद्यालयों के ऐसे शोध प्रबंधों में से अब तक www.shodhganga.inflibnet.ac.in बेवसाइट पर 2,69,806 शोध प्रबंध [Thesis] एवं 7600 सिनॉप्सिस् (Synopsis) भी अपलोड किए जा चुके हैं। इस कारण से नूतन हो रहे शोध कार्यों में जहाँ विषयवस्तु आदि का पुनरावर्तन होना रुका है, वहीं शोध कार्यों में पारदर्शिता भी आई है। नए शोध प्रबन्धों को 'प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट' [Plagiarism Certificate] प्राप्त करना अनिवार्य होने से अब शोध सामग्री आलेखन कार्य में पूर्वलिखित जानकारियों व शोध निष्कर्षों से साहित्यिक नकलचोरी/कट्–पेस्ट करने जैसी दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लग रहा है। साथ ही पूर्व में लिखित ये शोधप्रबंध आदि अब सार्वजनिक तौर पर इस बेवसाइट के द्वारा उपलब्ध हो जाने से शोध प्रबंधों का अध्येताओं को यथेच्छ रूप से सदुपयोग करने में सुगमता हो रही है और वे नए शोध निष्कर्ष प्राप्त करने प्रयासरत हो रहे हैं ।

किन्तु प्राप्त जानकारियों के अनुसार 20वीं शताब्दी रूप पूर्वकाल में लिखित बहुसंख्यक शोध प्रबंध आदि अभी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में ही टाइप्ड प्रति के रूप में संरक्षित हैं । उन शोध प्रबंधों का अध्येता वर्ग सुगम रीति से अवलोकन भी नहीं कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे शोध प्रबंधों की प्रतियों को 'सूचना का अधिकार' {R.T.I.} के माध्यम से भी प्राप्त कर पाना सहज सम्भव नहीं हो पा रहा। इस कारण जहाँ उन शोध निष्कर्षों को पढ़ पाने से अध्येता वंचित रह रहे हैं, वहीं कुछ विषयों का पुनरावर्तन होने की संभावना भी शेष रह रही है ।

माननीय महोदय से इसी कारण निवेदन है कि देश में स्थित उक्त समस्त प्रकार के विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश प्रेषित किए जाना चाहिए–

1. जब सभी प्रकार के शोध प्रबन्ध/लघु शोध प्रबन्धों की प्रतियाँ उपरिलिखित बेवसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक रूप में उपयोग करना सुनिश्चित किया जा रहा है, तब विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में संग्रहीत शोध प्रबंध आदि को आर.टी.आई. के माध्यम से चाहने पर अथवा अध्येता द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित विधि से, उचित शुल्क लेकर प्रार्थीजनों को निश्चित कालावधि के भीतर शोध प्रबंधों की प्रतियाँ सीधे ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. उक्त बेवसाइट पर प्रायः 21वीं शताब्दी में लिखित शोध प्रबंध आदि अधिक संख्या में अपलोड हुए देखने में आ रहे हैं। किंतु 20वीं शताब्दी के दसवें–नवमें–आठवें–सातवें–छटवें–पाँचवें आदि दशकों में लिखित शोध प्रबंधों आदि की संख्या उनमें नगण्य है। अतएव उक्त कालावधियों में लिखित शोध प्रबंध आदि सामग्रियों को स्केन कर बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु निश्चित रीतियों से स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए जाएँ। साथ ही इस कार्य को यथाशीघ्र संपन्न कराए जाने हेतु कोई कार्य–योजना बनाकर कार्य को संपादित करने हेतु निश्चित कालावधि भी निर्धारित/सुनिश्चित की जाए।

3. विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत शोध प्रबंध आदि यदि किसी प्रकाशन संस्थान द्वारा या शोधार्थी द्वारा अपने निजी प्रयासों से प्रकाशित किया गया/कराया हो, तो ऐसे शोध प्रबंध आदि को प्रकाशन संस्थान या शोधार्थी द्वारा सीधे ही बेवसाइट पर अपलोड करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाए। इस कार्य की मॉनीटरिंग होकर ऐसे शोध प्रबंध आदि भी बेवसाइट पर समुपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित होना चाहिए।

हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा प्रेषित किए जा रहे उपरिलिखित तीनों बिंदुओं पर विचार कर यथाशीघ्र निर्णय लेकर कोई स्पष्ट दिशानिर्देश प्रसारित होने/कराने में आपका सक्रिय प्रयास सार्थकता दिलाएगी। इसी विश्वास के साथ आपके द्वारा किए/कराए गए सत्प्रयास की एक प्रति मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी अपेक्षा है। सादर।

निवेदक

अजित कुमार जैन
अध्यक्ष
श्री प्रेमप्रचारिणी दिगम्बर जैन सभा
मण्डी बामोरा–464240, सागर, म0प्र0

प्रतिलिपिः–

माननीय श्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' जी
केन्द्रीय मंत्री–मानव संसाधन विकास मंत्रालय
301–सी विंग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली–110 001
ई–मेल– **minister.hrd@gov.in, drrameshpokhriyal@gmail.com**
pstohrm@gov.in, secy.dhe@nic.in

माननीय श्री संजय शामराव धोत्रे जी
केन्द्रीय राज्यमंत्री–मानव संसाधन विकास मंत्रालय
126–सी विंग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली–110001
ई–मेल– **sanjaysdhotre@gmail.com**

माननीय श्री प्रोफे. डॉ. डी. पी. सिंह जी
अध्यक्ष–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110 002
ई–मेल– **cm.ugc@nic.in, webmaster.ugc.help@gmail.com**

माननीय श्री डॉ. भूषण पटवर्धन जी
उपाध्यक्ष–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जाफर मार्ग,
नई दिल्ली–110 002
ई–मेल– **vcm.ugc@nic.in**

माननीय श्री प्रोफे. रजनीश जैन जी
सचिव–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110 002
ई–मेल– **secy.ugc@nic.in**